राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 5 (2) न.नि.वि./3/99 जयपुर, दिनांक : 25.9.99

आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

विषय : नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग के नियमन के संबंध में।

संदर्भ : प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 460 दिनांक 19.8.99

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्र के चाहेनुसार राजस्थान शहरी क्षेत्रों (भूखण्डों का उप विभाजन, पुनर्गठन एवं विकास) नियम 1975 एवं जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 1996 के संबंधित नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.7.99 का परिपत्र जारी किया गया है जिसकी प्रति पुन: संलग्न है।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नगरीय योग्य सीमा में राजस्व विभाग द्वारा जारी 1981* के कृषि भूमि रूपान्तरण नियम निष्प्रभावी रहेंगे।

भवदीय
सही/-
उप शासन सचिव

---

* राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6(9) राज. /6/99/5 दिनांक 14.2.2001 द्वारा कृषि भूमि रूपान्तरण नियम 1981 विलोपित किये गये।